(37)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 826] नई दिल्ली, बुधवार, जून 18, 2008/ज्येष्ठ 28, 1930
No. 826] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 18, 2008/JYAISTHA 28, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2008

का.आ. 1489(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूची I में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

2. उक्त अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (iv) के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(i) "परंतु यह कि निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो, अर्थात् :—

(क) व्यैष्टिक भूमि स्वामी कार्य कार्ड धारक हो और परियोजना में भी कार्य कर रहा हो;

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए श्रमिक सामग्री का अनुपात 60 : 40 में ग्राम पंचायत स्तर पर रखा जाएगा;

(ग) परियोजना ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित होगी तथा परियोजनाओं के वार्षिक शेल्फ का भाग होगी;

(घ) कार्य के निष्पादन में कोई ठेकेदार या मशीनरी प्रयुक्त नहीं होगी; और

(ङ) कोई मशीनरी क्रय नहीं की जाएगी ।"

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]
अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची I का संशोधन का.आ. 323(अ) दिनांक 6 मार्च, 2007 द्वारा किया गया है ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2008

S.O. 1489(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government, on being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby makes the following further amendments in Schedule I to the said Act, namely :—

2. In the said Schedule, in Paragraph 1, under sub-paragraph (iv), the following proviso shall be added, namely :—

(i) "Provided that the following conditions are fulfilled, namely :—

(a) the individual land owner shall be a job card holder and also work in the project;

(b) for each such project, the labour material ratio of 60 : 40 shall be maintained at the Gram Panchayat level;

(c) projects shall be approved by the Gram Sabha and the Gram Panchayat and shall be part of the annual shelf of projects;

(d) no contractors or machinery shall be used in the execution of work; and

(e) no machinery shall be purchased."

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]
AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note: Schedule I to the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 has been amended *vide* No. S.O. 323(E) dated the 6th March, 2007.

2294 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.